न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्याः–46 / 2020
जी.सी.एम.एस .संख्याः–2020 / 00078

उनवान

1. चन्द्रा पुत्र पांच्या पुत्र रामा
2. मु0 नैहनी विधवा पतनी पन्ना
3. रामधन पुत्र नारायण
4. रामफूल पुत्र नारायण
5. रामनिवास पुत्र पन्ना

समस्त जाति बैरवा मूल निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द हाल निवासी ग्राम दोलाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. फारूक पुत्र तैयबा
2. जलीस पुत्र तैयबा
3. भूली विधवा पत्नी तैयबा

समस्त जाति मुसलमान (गद्दी) निवासी ग्राम दोबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

4. मुबीन उर्फ जल्लो पुत्री तैयबा पत्नि गनी निवासी ग्राम गोगोर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः

1. श्री हयात अली अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री कमलेश कुमार जैन अधिवक्ता रेस्पो0।

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्याः 47 / 2020
जी.सी.एम.एस. संख्याः 2020 / 00077

उनवान

1. चन्द्रा बैरवा पुत्र पांच्या जाति बैरवा पेशा खेती
2. मु0 नैहनी विधवा पत्नी पन्ना जाति बैरवा
3. रामनिवास पुत्र पन्ना
4. रामधन पुत्र नारायण बैरवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

5. रामफूल पुत्र नारायण बैरवा
समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द हाल निवासी ग्राम दोलाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. इस्लामुद्दीन पुत्र जन्सी जाति मुसलमान गद्दी निवासी ग्राम दौबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. अस्मीन पुत्री जन्सी पत्नी फारूख जाति गद्दी निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
3. तजरून पुत्री जन्सी पत्नी इकराम जाति गद्दी मुसलमान निवासी ग्राम पचीपल्या तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. मौसमीन पुत्री जन्सी पत्नि मुख्तयार जाति गद्दी मुसलमान निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. तैयबा पुत्र अहमद जाति मुसलमान गद्दी।
6. गुलाब बानो बेवा रहमुद्दीन जाति मुसलमान गद्दी
निवासी ग्राम दौबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः

1. श्री हयात अली अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री कमलेश कुमार जैन अधिवक्ता रेस्पो0।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 27.02.2023

1. यह दोनों अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 284/76 बउनवान महबूब बनाम पांच्या व वाद संख्या 285/76 बउनवान तैयबा बनाम पांच्या में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.1976 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण संख्या 284/76 में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम दुब्बी का निवासी है। आराजी खसरा नंबर 2 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में से 5 बीघा 8 बिस्वा भाग ग्राम दुब्बी मे स्थित वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी का इन्द्राजात अपने नाम कर लिया। प्रतिवादी का इस आराजी से कोई वास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नही है। वादी ही काश्त कर फायदा उठाता चला आ रहा है। जब प्रतिवादी ने वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत की और अपने नाम उक्त आराजी का खाता होना जाहिर किया, तब वादी ने यह वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा की उक्त आराजी की खातेदारी से प्रतिवादी का नाम हजफ कर वादी का नाम अंकित किया जावें। मातहत अदालत ने वादी का वाद पत्र स्वीकार कर उक्त आराजीयात की खातेदारी से प्रतिवादी का नाम हजफ कर वादी का नाम अंकित करने के आदेश व डिक्री दिनांक 14.12.76 को पारित कर दिए। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. प्रकरण संख्या 285/76 में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम दुब्बी का निवासी है। आराजी खसरा नंबर 2 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा में से 6 बीघा 12 बिस्वा भाग ग्राम दुब्बी वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी का इन्द्राजात अपने नाम कर लिया। प्रतिवादी का इस आराजी से कोई वास्ता नही है। वादी ही काश्त कर फायदा उठाता चला आ रहा है। जब प्रतिवादी ने वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत की और अपने नाम उक्त आराजी का खाता होना जाहिर किया, तब वादी ने यह वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा की उक्त आराजी की खातेदारी से प्रतिवादी का नाम हजफ कर वादी का नाम अंकित किया जावें। मातहत अदालत ने वादी का वाद पत्र स्वीकार कर उक्त आराजीयात की खातेदारी से प्रतिवादी का नाम हजफ कर वादी का नाम अंकित करने के आदेश व डिक्री दिनांक 14.12.76 को पारित कर दिए। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

4. अपील संख्या 46/2020 व 47/2020 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दुब्बी में पांच्या पुत्र रामा जाति बैरवा जो अनुसूचित बैरवा जाति की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी थी जिस रेस्पोडेन्ट (वादी) के पूर्वजों जो मुसलमान जाति के व्यक्तियों **तैयब पुत्र अहमद** मुसलमान ग्राम दोबडा खुर्द ने 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि इसी तरह **महबूब पुत्र मदारी** मुसलमान को 5 बीघा 8 बिरवा भूमि का गैर कानूनी दावा दिनांक 19.0876 को दायर कर मात्र 4 माह दिनांक में 14.12.76 को फर्जी डिक्री करा लिया गया जबकि पांच्या पुत्र रामा की मृत्यु दिनांक 13.02.1974 को हो चुकी थी। मृतक पांच्या के विरूद्ध दावा दायर किया गया था। रेस्पोडेन्ट ने फर्जी साझ बाज कर मृतक के सम्बन्ध में फर्जी अगूंठा निशानी कर करके इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया जबकि पॉच्या पुत्र रामा का फर्जी दिनांक 13.02.74 को ही मर चुका था राज० टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व से ही अपीलान्ट के पूर्वजों पांच्या पुत्र रामा के नाम राजस्व रिकोर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खतौनी बन्दोवस्त में पांच्या पुत्र रामा सम्वत् 2004 से 3023 तक व जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2038 तक में अपीलान्ट के पिता का नाम पांच्या पुत्र रामा के नाम चली आ रही थी। कानूनन राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 के धारा 42(2) के विधि विरूद्व तैयबा पुत्र अहमद, महबूब पुत्र मदारी जो मुस्लिम स्वर्ण जाति के व्यक्ति है के नाम गलत लगा दी गई है जबकि अनुसूचित जाति की भूमि कानूनन नही लग सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के तहत अनुसूचित जाति की भूमि को स्वर्ण जाति के नाम खातेदारी नही दी जा सकती है राजीनामाके आधार पर वाद इकवालिया जवाब दावा के आधार पर भी डिक्री किया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियक की धारा 42 (2) के उल्लंघन में पारित डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.76 अपास्त योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 14.12.76 निरस्त फरमावे। उक्त दोनों अपील संख्या 46/2020 व 47/2020 के साथ–साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

5. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

6. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स को हमारे पूर्वज मृतक पाँच्या पुत्र रामा बैरवा की खातेदारी निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द में स्थित कृषि भूमि खन 2, 238, 272 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा की देखभाल करने हेतु ग्राम दुब्बी खुर्द में अपीलान्ट् न० 1 चन्द्रा पौत्र पाँच्या तथा अपीलान्ट्स न० 5 रामनिवास पुत्र पन्ना दिनांक 28.06.2017 को देखभाल हेतु विवादित आराजीयात पर गये, तब उनको सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि पांच्या पुत्र रामा बैरवा की खातेदारी की विवादित आराजीयात न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से फैसला होकर रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।

इस बाबत् जानकारी होते ही दिनांक 29.06.17 को अपीलांटगण द्वारा नकल आवेदन प्रस्तुत किए। दिनांक 03.07.17 को नकल प्राप्त कर रेस्पोडेन्टगण के नामान्तकरण संख्या 61 व 62 की अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में 03.08.17 को पेश कर दी थी। तत्पश्चात् अदालत मातहत की निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.76 की जानकारी हुई। 12.09.16 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर 20.09.19 को नकल प्राप्त की। अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है परन्तु कोरोनाकाल के कारण अपील समय पर प्रस्तुत नही जा सकी और कोरोना काल समाप्त होत ही 31.07.20 को अपील पेश कर दी गई है। इस कारण अपील मियाद अन्दर माना जाकर अपील पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया गया।

7. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 14.12.1976 का है। निर्णय उभपक्षकारान अधिवक्तागण की उपस्थिति मे इकबालिया जवाब के आधार पर निर्णित किया गया है। लगभग 47 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है। प्रार्थीयान/अपीलांट द्वारा यह कथन कि दिनांक 28.06.17 को खेतों की सार संभाल करने गये तो इसका पता हुआ। 41 वर्ष बाद खेतो की सार संभाल का तथ्य ही मान्य नही है क्योंकि दावे काश्तकार अपने खेतो पर निरन्तर आता–जाता है। द्वितीयः जानकारी होने के उपरान्त भी लगभग 05 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है। अपील पेश करने के दिन–प्रतिदिन का कोई विलम्ब कर कारण नही बताया कि क्यों 41 वर्ष तक खेतो की देखभाल नही करने गये व क्यों जानकारी के 03 वर्ष तक भी अपील पेश नही की। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा यह जोर देते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम निर्णय किया जावें तत्पश्चात् ही मुख्य बहस पर निर्णय किया जावें। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन दृष्टांत **2022(1) सी.जे.(सिव.) (एस.सी) 22, आर.आर.डी. 2007 पेज 187, आर.आर.डी. 2013 पेज 788, आर.आर.डी. 2007** पेश किए।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि मातहत अदालत की पत्रावली में पीठासीन अधिकारी ने नं0 3 ऑर्डर शीट पर अपने हस्ताक्षर किये जिसमें 09.09.76 तामील अंकित की गई और प्रतिवादी का वकालत नामा 09.09.76 को पेश कर 10.09.76 को जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया तनकी (विवाद) कायम नही किये गये नहीं कर दिया गया दिनांक 09.09.76 का कोई तारीख ऑर्डर शीट नहीं हुई और पॉच्या पुत्र रामा का दिनांक 29.09.76 वकालत नामा फर्जी अगूठा निशानी लगा कर प्रस्तुत कर दिया गया और दिनांक 10.09.76 को मृतक पाँच्या का फर्जी जवाब दावा इकबालिया प्रस्तुत कर दिया गया जिससे यह बात बेखूबी सिद्ध हो जाती है कि उक्त सारी समस्त कार्यवाही फर्जी की गई और गलत दावा डिकी किया गया जो विधि के वियद्व है डिकी शुरू से ही शून्य रही है। यह कि दिनांक 23.09.76 को आदेश में दे दिया गया और 14.12.76 को डिकी कर दिया गया उक्त बाद में कोई तनकीयात (विवाद्यक) कायम नही किये ऑर्डर 14 रूल 5 के अनुसार नही बनाई गई ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई मात्र यहां तक की वादी पाँच्या के बयान साक्ष्य भी नही हुए किसी दस्तावेज में राजस्व रिकोर्ड तक प्रस्तुत नहीं किया गया प्रदर्श भी नही हुए कानूनों की विधि नियमों की कोई पालना नही की ना ही ऑर्डर 20 रूल 5 की पालना की गई जबकि विधिवत अनुसार समस्त कार्यवाही होनी चाहिए थी जो विधिवत कानूनन के विपरीत डिकी पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अदालत का निर्णय डिक्री खारिज की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के समर्थन में दृष्टांत **आर.आर.डी. 2016 पेज 759, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1211, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 489, आर.आर.डी. 1992 पेज 117, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 724, आर.आर.डी. 2002 पेज 568, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1283, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 813, आर.आर.डी. 1983 पेज 159** पेश किए।

9. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

10. माननीय राजस्व मण्डल के अनेक दृष्टांतों से यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपील में सर्वप्रथम मियाद बिंदु प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना चाहिए। अधिवक्ता रेस्पो0 का मुख्य बहस मे भी यही कथन है कि अपील के गुणावगुण को निर्णित करने से पूर्व, मियाद बिंदु को निर्णित किया जावें। इस कारण सर्वप्रथम मियाद अधिनियम धारा 5 को पहले निर्णित किया जा रहा है।

11. अदालत मातहत का आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.1976 को है। अपील दिनांक 31.07.2020 को पेश की गई है। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी विवादित आराजीयात की सार संभाल दिनांक 28.06.17 को करने पर हुई। दिनांक 28.06.17 को जानकारी होने के उपरान्त अपील 31.07.2020 को पेश की गई है।

अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 09.09.76 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित रहे है। अभिभाषक की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जाती है। जब निर्णय व डिक्री की जानकारी अधिवक्ता प्रतिवादीगण को थी तो यह नही कहा जा सकता कि अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क मानने योग्य नही है कि मियाद बिंदु का निर्णित करते समय प्रकरण के गुणावगुण पर भी विचार किया जाना चाहिए। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एन.जे. 2009 पेज 546 (एस.सी.)** में यह निर्णित कर दिया है कि मियाद बिंदु को निर्णित करते समय प्रकरण के गुणावगुण को मध्यनजर नही रखना चाहिए। यह तथ्य सही है कि मियाद बिंदु को निर्णित करते समय लचीला रूख अपनाया जाना चाहिए परन्तु लचीले रूख का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी निर्णय व डिक्री के विरूद्व 47 साल के पश्चात् अपील प्रस्तुत की जावे तथा लचीला रूख अपनाने का निवेदन किया जावें। उक्त मत का विवेचन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित दृष्टांत **2010(2) आर.आर.टी. पेज 801**, के निम्नानुसार किया गया है– "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5–विलम्ब का शमन–पर्याप्त कारण–अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब–विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया–निर्णित, आवेदन व अपील खारिज की।"

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

12. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के सही निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से हम इस विवाद के संबंध मे स्थापित कानूनी दृष्टिकोण का उल्लेख करना उचित समझते है जो निम्न प्रकार है:–

AIR 2010 SC 3043- "(A) Civil P.C. (5 of 1908), O. 22, R. 9- Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Application for setting aside abatement - Delay- Condonation - Conduct of applicant Ground raised that applicants were staying away from their father (deceased) - Had no knowledge of pending appeal - Acquired knowledge only when counsel informed them about hearing of appeal- Ground that applicants were staying away contrary to one taken in application for bringing LRS on record- Assertion that applicants had no knowledge-Unbelievable as on applicant was examined in trial - Application in fact made much after applicants were informed by counsel - Delay of over two years not liable to be condoned."
"(b) Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Civil P.C. (5 of 1908), O. 22, R. 9- Condonation of delay - Sufficient cause - "Liberal approach" - Does not mean doing injustice to opposite party - Application to set aside abatement - Made belatedly Ground raised for condonation not sufficient and also unbelievable - Delay cannot be condoned - Provisions of O. 22 R. 9 cannot be so construed so as to make it redundant."

AIR 1998 (SC) 2276- "(A) Civil P.C. (5), S. 96- Appeal- Delay - Condonation - Delay condoned without recording satisfaction of reasonable or satisfactory explanation for inordinate delay - No such explanation offered by State - Condonation of delay not proper and judicious - Order cannot be sustained."
"(C) Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Delay - Condonation-Law of limitation has to be applied with all its rigour prescribed by statute - Courts have no power to extend period of limitation on equitable grounds."

2001 J.T. (5) S.C. page 608- " In excersing discretion under Section 5 of the Limitation Act , the court should adopt a pragmatic approach. A distinction must be made between a case where the delay is inordinate and a case where the delay is of a few days. Whereas in the former case the consideration of prejudice to the other side will be a relevant factor so the case calls for a more cautious approach.."

13. हमारे ज्ञाननुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार करने अथवा, अस्वीकार करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं सभी माननीय उच्च न्यायालयों का जो मत एवं अधीनस्थ न्यायालययों के लिये मार्गदर्शन है। उनका यही सार है कि लम्बी से लम्बी की देरी को तभी क्षमा किया जा सकता है जबकि देरी करने वाला पक्षकार देरी के संतोषजनक कारणों व परिस्थितियों से न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

संतुष्ट कर देवे। यदि वह संतुष्ट नहीं कर सकता है अथवा उनके प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण संतोषजनक, पर्याप्त या विश्वसनीय नहीं है तो छोटी से छोटी देरी को भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। इस सिद्वान्त को राज्य सरकार अथवा निजी पक्षकार दोनों पर समान रूप से लागू होना माना गया है। उपरोक्त उल्लेखित नजीरों में प्रतिपादित सिद्वान्तों से बाध्य होते हुए अब हम वर्तमान अपील को अपीलांटस् की ओर से दायर करने में की गई 47 वर्ष से अधिक समय की देरी को क्षमा योग्य नही है।

प्रथमः– अपीलांटगण का मियाद अधिनियम धारा–5 प्रार्थना पत्र मे यह अंकन कि पूर्वज मृतक पांच्या पुत्र रामा की आराजीयात पर 47 वर्ष बाद सार संभाल करने गए। यह कथन एक काल्पनिक कथन है और प्रथम दृष्टया ही विश्वास करने योग्य नही है, क्योंकि एक काश्तकार प्रतिदिन ही अपनी आराजीयात की सारसंभाल करता है।

द्वितीयः–आलौच्य निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को 28.06.17 को हुई तो भी अपील पेश करने मे लगभग 03 वर्ष का समय लिया है उसके भी "न्यायोचित" कारण अंकन नही किए गए है।

तृतीयः–अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 09.09.76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित रहे। अधिवक्तागण की उपस्थित पक्षकार की उपस्थिति मानी जाती है। इस प्रकार अपीलांट को वाद की जानकारी होने के उपरांत भी वाद निर्णित होने के 47 वर्ष बाद की गई अपील समय बाधित है।

14. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं कानूनी सिद्धान्तों का सम्मान करते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि वर्तमान प्रकरण में अपीलांटस् की ओर से 47 वर्ष से अधिक को देरी उपरान्त मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये हैं उसमें वस्तुतः दिनांक 14.12.76 के निर्णय के विरुद्ध 47 वर्ष से अधिक समय की देरी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषप्रद एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में हम इस अपील को नितान्त रूप से समयवर्जित (hopelessly time barred) अपील मानते हैं। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

हम यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि चूंकि अपील नितान्त रूप से समयवर्जित पायी गयी है। ऐसी स्थिति में इस अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विश्लेषण करने की आवश्यकता नही रहती है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने कई विनिर्णयों में इस आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब अपील को मियाद बाहर होना मान लिया जाए तब उसके गुणावगुण पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा नही होते है तथ अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा दृष्टांत यहां चस्पा होते है।

Scanned with CamScanner

15. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम अपील को नितान्त रूप से समयवर्जित होने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य समझते हैं। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 खारिज किया जाता है। जब मियाद बिंदु प्रार्थना पत्र ही खारिज किया जा चुका है तो अपीलांट अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

16. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 27.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 27.02.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

अपील संख्या :46 / 2020

1. चन्द्रा पुत्र पांच्या पुत्र रामा
2. मु0 नैहनी विधवा पतनी पन्ना
3. रामधन पुत्र नारायण
4. रामफूल पुत्र नारायण
5. रामनिवास पुत्र पन्ना

समस्त जाति बैरवा मूल निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द हाल निवासी ग्राम दोलाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. फारूक पुत्र तैयबा
2. जलीस पुत्र तैयबा
3. भूली विधवा पत्नी तैयबा

समस्त जाति मुसलमान (गद्दी) निवासी ग्राम दोबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

4. मुबीन उर्फ जल्लो पुत्री तैयबा पत्नि गनी निवासी ग्राम गोगोर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्टस्।

उनवान

अपील संख्या: 47 / 2020

1. चन्द्रा बैरवा पुत्र पांच्या जाति बैरवा पेशा खेती
2. मु0 नैहनी विधवा पत्नी पन्ना जाति बैरवा
3. रामनिवास पुत्र पन्ना
4. रामधन पुत्र नारायण बैरवा
5. रामफूल पुत्र नारायण बैरवा

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द हाल निवासी ग्राम दोलाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. इस्लामुद्दीन पुत्र जन्सी जाति मुसलमान गद्दी निवासी ग्राम दौबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. अस्मीन पुत्री जन्सी पत्नी फारूख जाति गद्दी निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
3. तजरून पुत्री जन्सी पत्नी इकराम जाति गद्दी मुसलमान निवासी ग्राम पचीपल्या तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. मौसमीन पुत्री जन्सी पत्नि मुख्तयार जाति गद्दी मुसलमान निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. तैयबा पुत्र अहमद जाति मुसलमान गद्दी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. गुलाब बानो बेवा रहमुद्दीन जाति मुसलमान गद्दी
निवासी ग्राम दौबडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या :46 / 2020
अपील संख्या:47 / 2020 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या :2020 / 00078
जी.सी.एम.एस. संख्याः 2020 / 00077 दिनांकः 27.02.2023
अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर

यह दोनों अपील तारीख 27.02.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री हयात अली अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री कमलेश कुमार जैन मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील को नितान्त रूप से समयवर्जित होने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य समझते हैं। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 खारिज किया जाता है। जब मियाद बिंदु प्रार्थना पत्र ही खारिज किया जा चुका है तो अपीलांट अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 27.02.2023 को जारी किया गया।

27.2.2023

मुहर

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner